2013/00210

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), जयपुर

प्रकरण संख्या 07/2013 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये श्री महेन्द्र सिंह प्रवर्तन निरीक्षक, उपखण्ड चौमू जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स अग्रवाल गैस सर्विस चौमू जिला जयपुर एचपीसीएल गैस ऐजेन्सी ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 के तहत जब्त शुदा एचपीसीएल के 83 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा. को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1 पैरोकार रसद प्राथी की ओर से।

2.श्री वी॰ के॰ माथुर अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 14-11-2019

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 08.03.2013 को बहमराह जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टॉफ के अप्रार्थी मैसर्स अग्रवाल गैस सर्विस चौमू जिला जयपुर के व्यापार स्थल व गोदाम की जांच की गई। वक्त जांच मौके पर कार्यकर्ता श्री सुरेश कुमार शर्मा उपस्थित मिले जिन्होंने राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के तहत जारी अनुज्ञापत्र की प्रति पेश की।गोदाम की जांच करने पर फर्म के स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 14.2 किग्रा संवर्ग के खाली सिलेण्डर का प्रारम्भिक स्टॉक 871 सिलेण्डर दर्ज है। गैस ऐजेन्सी के गोदाम कीपर श्री रामकुमार गुर्जर ने बताया कि एचपीसीएल कम्पनी के संयत्र को रिफिल हेतु 654 सिलेण्डर को घटाने पर 14.2 संवर्ग के खाली सिलेण्डर 217 गोदाम में होने चाहिये थे, जबकि मौके पर 300 सिलेण्डर पाये गये । इस प्रकार स्टॉक के मुकाबले 83 सिलेण्डर अधिक पाये गये। अधिक पाये गये सिलेण्डर बाबत कोई विधिक दस्तावेज पेश नहीं किया और ना ही संतोषप्रद जबाब ही दिया गया । इस प्रकार गैस ऐजेन्सी के स्टॉक रजिस्टर के अनुसार गैस ऐजेन्सी द्वारा गोदाम में 83 खाली सिलेण्डर क्षमता 14.2 कि.ग्रा. को कब्जे राज लिया गया एवं सुरक्षा की दृष्टि से मैसर्स गोविन्दगढ एचपी गैस ऐजेन्सी गोविन्दगढ तहसील चौमू के कार्यकर्ता श्री लक्ष्मणसिंह की सुपर्दगी में दिये गये। जब्तशुदा 83 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपीसीएल को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं घरेलू गैस सिलेण्डर जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने का इस्तदुआ किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

2. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए(2) के तहत अन्तरित निस्तारण के आदेश दिनांक 18.03.2013 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये । अप्रार्थी की

ओर से श्री वी॰ के॰ माथुर अधिवक्ता ने वकालतनामा व जबाब पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी फर्म की जांच किये जाने पर स्टॉक के मुकाबले 83 सिलेण्डर अधिक पाये गये है। अधिक पाये गये सिलेण्डर बाबत कोई विधिक दस्तावेज पेश नहीं किये गये और ना ही संतोषप्रद जबाब ही दिया गया । जब्तशुदा 83 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपीसीएल को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी के अयिधवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अप्रार्थी फर्म पर स्टॉक के अनुसार ही घरेलू सिलेण्डर पाये गये है मौके पर उपस्थित फर्म के गोदाम कीपर द्वारा निरीक्षणकर्ता को गिनती कराने में त्रुटि रही । अप्रार्थी फर्म के विरूद्व धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण में बाद अनुसंधान के पुलिस द्वारा एफआर दे दी गई है जो मान्य न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अतः जब्त सिलेण्डर अप्रार्थी को लौटाये जाने के आदेश फरमावे।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द जब्ती दिनांक 08.03.2016 व अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत एफआर व माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सा॰द॰प्र॰) जयपुर महानगर के निर्णय दिनांक 16.2.2018 का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. इस मामले में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दर्ज प्रकरण में थानाधिकारी चौमू द्वारा बाद अनुसन्धान मामले में एफ आर प्रस्तुत की गई है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि जांच में सिर्फ गोदामकीपर के समझाने की कमी रही है। स्टॉक में 83 सिलेण्डर का अधिक भण्डारण नहीं पाया गया है। दिनांक 18.03.2013 को दौराने भौतिक सत्यापन जांच दल को आनन फानन में गोदामकीपर द्वारा सही तरीके से सन्तुष्ट नही कर पाया जिस कारण यह गलती हुई है और कोई अधिक भण्डारण करना नहीं पाया गया है। जांच दल एवं अप्रार्थी गैस सर्विस के माध्य मिस अण्डर स्टेण्डिग रहना बताया है। सम्पूर्ण तप्तीश से मामला अदम वकू तथ्य की भूल का पाया जाना बताते हुये प्रकरण में एफ आर पेश की गई है, जो माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सा॰द॰प्र॰) जयपुर महानगर के निर्णय दिनांक 16.2.2018 से स्वीकार की जा चुकी है। मामले में अप्रार्थी फर्म के पास स्टॉक में 14.2 किग्रा क्षमता के एचपीसीएल के 83 घरेलू गैस सिलेण्डर अधिक पाये जाने का कोई आधार नहीं पाया गया है। फलस्वरूप अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 83 घरेलू गैस सिलेण्डर या उनसे विकित राशि अप्रार्थी फर्म को लौटाया जाना वाजिब समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे से जब्तशुदा 83 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपीसीएल या उनसे विकीत राशि अप्रार्थी फर्म को लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है।

9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित की जावे । पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हा।

10. निर्णय आज दिनांक 14.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जूगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर